



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64390

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
3009/2026

मोहम्मद तौसीफ उर्फ तौसीम

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: अमित श्रीवास्तव, रमेश कुमार पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 194/2025, धारा 85, 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना- उतरांव, जनपद गंगानगर (कमिशनरेट प्रयागराज) में इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए क्योंकि आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक मृतक का देवर है। आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध धन की मांग के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक एक विवाहित व्यक्ति है जो अलग रहता है। उसने इस न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका, जो कि आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 23176/2025 थी, दायर की थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 14.10.2025 के आदेश द्वारा आवेदक के विरुद्ध 60 दिनों की अवधि के लिए दार्शनिक कार्यवाही (कोअर्सिव एक्शन) पर रोक लगा दी थी और आवेदक को उक्त अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और जमानत/अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि अनजाने में और अपनी पत्नी की गर्भावस्था की अग्रिम अवस्था के कारण, वह उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं हो सका, हालांकि, उसके तुरंत बाद उसने संबंधित न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन दायर कर दिया था। उन्होंने बताया कि आज तक आवेदक के विरुद्ध कोई दार्शनिक कार्यवाही नहीं की गई है। सह-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक के विरुद्ध विवेचना लंबित है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक वर्तमान मामले में नामजद अभियुक्त है। आवेदक और सह-अभियुक्त को नामजद करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आवेदक ने समय पर संबंधित न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आत्मसमर्पण नहीं किया और उसे कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के साथ चार अन्य अभियुक्तों के नाम हैं। आवेदक और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का जो कारण पाया गया है वह पूर्व-मरण फाँसी के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है। पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान पाए गए लिगेचर मार्क के अलावा शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान मौजूद नहीं है। सह-अभियुक्त गुड़िया उर्फ आयशा बेगम को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 24904/2025 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। मृतक का पति पहले से ही जेल में है।
7. प्रथम दृष्टया, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से मृतक की मृत्यु आत्महत्या के परिणामस्वरूप प्रतीत होती है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक- मोहम्मद तौसीफ उर्फ तौसीम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे तत्काल उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं;
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

ए. पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"